कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि और सहकारिता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1626.47	122.73	1749.20	1585.06	282.73	1867.79	1894.01	199.36	2093.37
पूंजी		*358.53*	*0.63*	*359.16*	*399.94*	*0.63*	*400.57*	*292.99*	*0.64*	*293.63*
जोड़		**1985.00**	**123.36**	**2108.36**	**1985.00**	**283.36**	**2268.36**	**2187.00**	**200.00**	**2387.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	3.20	24.75	27.95	3.20	24.69	27.89	6.37	25.07	31.44
कृषि कार्य										
2. बीज	3601	1.25	...	1.25	0.80	...	0.80	2.81	...	2.81
	2401	29.15	...	29.15	17.25	...	17.25	20.76	...	20.76
	जोड़	*30.40*	*...*	*30.40*	*18.05*	*...*	*18.05*	*23.57*	*...*	*23.57*
खाद्यान्न फसलें										
3. चावल, गेंहू और मोटे अनाजों के लिए मिनिकिट कार्यक्रम	2401	6.27	...	6.27	6.23	...	6.23	...	...	...
4. त्वरित अनाज विकास कार्यक्रम-मक्का	2401	2.00	...	2.00	1.90	...	1.90	1.75	...	1.75
	3601	3.50	...	3.50	2.60	...	2.60	2.00	...	2.00
	जोड़	*5.50*	*...*	*5.50*	*4.50*	*...*	*4.50*	*3.75*	*...*	*3.75*
5. सैन्ट्रल एशिया में गेंहू और दाल	2401	0.15	...	0.15	...	...	...	...	...	...
उत्पादन सम्बन्धी योजना	3601	0.35	...	0.35	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.50*	*...*	*0.50*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
6. जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन	2401	0.12	...	0.12	...	...	...	...	...	...
	3601	0.88	...	0.88	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.00*	*...*	*1.00*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
7. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	2401	...	0.70	0.70	...	0.62	0.62	...	0.70	0.70
जोड़-खाद्यान्न फसलें		**13.27**	**0.70**	**13.97**	**10.73**	**0.62**	**11.35**	**3.75**	**0.70**	**4.45**
8. दालों का विकास	3601	15.86	...	15.86	15.86	...	15.86	8.43	...	8.43
	2401	12.33	0.36	12.69	18.83	0.34	19.17	10.16	0.40	10.56
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*28.20*	*0.36*	*28.56*	*34.70*	*0.34*	*35.04*	*18.60*	*0.40*	*19.00*
9. *खाद्य और उर्वरक*										
9.01 जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	2401	2.04	...	2.04	1.76	...	1.76	2.04	...	2.04
	3601	0.56	...	0.56	0.56	...	0.56	0.23	...	0.23
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4401	1.00	...	1.00	...	...	...	0.30	...	0.30
	जोड़	*3.60*	*...*	*3.60*	*2.32*	*...*	*2.32*	*2.57*	*...*	*2.57*
9.02 अन्य कार्यक्रम	2401	1.80	...	1.80	1.51	...	1.51	3.06	...	3.06
	3601	...	...	...	...	...	...	0.31	...	0.31
	4401	...	...	...	...	...	...	0.11	...	0.11
	जोड़	*1.80*	*...*	*1.80*	*1.51*	*...*	*1.51*	*3.48*	*...*	*3.48*
जोड़-खाद और उर्वरक		***5.40***	***...***	***5.40***	***3.83***	***...***	***3.83***	***6.05***	***...***	***6.05***
10. पौध संरक्षण	3601	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.20	...	1.20
	2401	13.20	12.09	25.29	11.56	11.78	23.34	13.01	12.06	25.07
	4401	5.50	...	5.50	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*19.80*	*12.09*	*31.89*	*18.66*	*11.78*	*30.44*	*19.21*	*12.06*	*31.27*
वाणिज्य फसलें										
11. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	3601	66.20	...	66.20	66.20	...	66.20	32.50	...	32.50
	2401	13.00	0.50	13.50	18.00	0.50	18.50	11.50	0.52	12.02
	जोड़	*79.20*	*0.50*	*79.70*	*84.20*	*0.50*	*84.70*	*44.00*	*0.52*	*44.52*
12. राष्ट्रीय तेलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	2401	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	1.25	...	1.25
13. तिलहनों और दालों में पश्च फसल प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास	2401	8.00	...	8.00	12.00	...	12.00	6.00	...	6.00
14. गहन कपास विकास कार्यक्रम/कपास	3601	36.97	...	36.97	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00
पर प्रौद्योगिकी मिशन	2401	4.03	0.45	4.48	3.00	0.47	3.47	3.00	0.47	3.47
	जोड़	*41.00*	*0.45*	*41.45*	*20.00*	*0.47*	*20.47*	*20.00*	*0.47*	*20.47*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15. ऑयल पाम विकास कार्य	2401	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.05	...	0.05
	3601	9.70	...	9.70	8.20	...	8.20	4.10	...	4.10
	जोड़	*9.85*	*...*	*9.85*	*8.35*	*...*	*8.35*	*4.15*	*...*	*4.15*
16. टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम										
16.01 टीएमओपी सहित फसल-पश्च प्रौद्योगिकी	2401	...	...	...	...	...	...	7.65	...	7.65
16.02 तिलहन, ऑयलपाम, दाल तथा मक्का का समेकित विकास	2401	...	...	...	...	...	...	22.46	...	22.46
	3601	...	...	...	...	...	...	46.03	...	46.03
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*68.50*	*...*	*68.50*
16.03 पेड़ों से मिलने वाले तिलहन	2401	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
जोड़-टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम	*जोड़*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*78.65*	*...*	*78.65*
17. जल प्रबंध	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	...	...	...
	2401	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00	101.20	...	101.20
	जोड़	*61.00*	*...*	*61.00*	*61.00*	*...*	*61.00*	*101.20*	*...*	*101.20*
18. जल संभरण विकास परिषद	2401	1.50	...	1.50	1.40	...	1.40	2.00	...	2.00
19. अन्य वाणिज्यिक फसलें	2401	0.23	1.67	1.90	0.23	1.57	1.80	2.23	1.70	3.93
	3601	...	...	...	...	...	...	4.29	...	4.29
	जोड़	*0.23*	*1.67*	*1.90*	*0.23*	*1.57*	*1.80*	*6.52*	*1.70*	*8.22*
जोड़-वाणिज्यिक फसलें		**205.78**	**2.62**	**208.40**	**192.18**	**2.54**	**194.72**	**263.77**	**2.69**	**266.46**
20. बागवानी और सब्जी फसलें	3601	0.60	...	0.60	0.22	...	0.22	0.50	...	0.50
	2401	136.40	1.15	137.55	145.03	1.17	146.20	162.65	1.19	163.84
	जोड़	*137.00*	*1.15*	*138.15*	*145.25*	*1.17*	*146.42*	*163.15*	*1.19*	*164.34*
21. विस्तार और प्रशिक्षण	2401	43.27	5.89	49.16	42.59	5.54	48.13	78.95	5.54	84.49
	3601	...	...	...	...	...	...	0.90	...	0.90
	3602	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
	4401	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
	जोड़	*44.27*	*5.89*	*50.16*	*43.59*	*5.54*	*49.13*	*83.95*	*5.54*	*89.49*
22. फसल बीमा-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भारतीय साधारण बीमा कम्पनी को भुगतान	2401	261.21	...	261.21	314.17	...	314.17	300.00	...	300.00
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी										
23. कृषि गणना	2401	3.01	...	3.01	0.62	...	0.62	3.03	...	3.03
	3601	7.65	...	7.65	6.20	...	6.20	7.57	...	7.57
	3602	0.14	...	0.14	0.12	...	0.12	0.14	...	0.14
	जोड़	*10.80*	*...*	*10.80*	*6.94*	*...*	*6.94*	*10.74*	*...*	*10.74*
24. कृषि अर्थशास्त्र और सांस्यिकी की अन्य योजनाएं										
24.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	2401	...	7.15	7.15	...	7.11	7.11	...	7.25	7.25
24.02 मुख्य फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना	2401	17.81	...	17.81	17.20	...	17.20	17.43	...	17.43
24.03 मुख्य फसलों के क्षेत्रों और उत्पादन के अनुमानों की सामयिक रिपोर्ट	3601	4.05	...	4.05	3.70	...	3.70	2.02	...	2.02
	3602	0.05	...	0.05	0.04	...	0.04	...	...	...
	जोड़	*4.10*	*...*	*4.10*	*3.74*	*...*	*3.74*	*2.02*	*...*	*2.02*
24.04 कृषि संबंधी सांख्यिकी का संग्रहण	3601	9.50	...	9.50	9.40	...	9.40	4.65	...	4.65
24.05 अन्य कार्यक्रम	2401	5.94	5.73	11.67	6.30	5.69	11.99	11.27	6.14	17.41
	3601	10.90	...	10.90	8.81	...	8.81	11.23	...	11.23
	3602	0.15	...	0.15	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05
	जोड़	*16.99*	*5.73*	*22.72*	*15.21*	*5.69*	*20.90*	*22.55*	*6.14*	*28.69*
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं		***48.40***	***12.88***	***61.28***	***45.55***	***12.80***	***58.35***	***46.65***	***13.39***	***60.04***
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी		**59.20**	**12.88**	**72.08**	**52.49**	**12.80**	**65.29**	**57.39**	**13.39**	**70.78**
25. कृषि इंजीनियरी	2401	1.83	4.28	6.11	1.73	4.20	5.93	1.50	4.28	5.78
	3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.23	...	0.23
	4401	1.45	0.63	2.08	1.45	0.63	2.08	1.65	0.64	2.29
	जोड़	*3.48*	*4.91*	*8.39*	*3.38*	*4.83*	*8.21*	*3.38*	*4.92*	*8.30*
26. नेफेड के माध्यम से मूल्य समर्थन/बाजार हस्तक्षेप प्रचालन को अंशदान	2401	...	25.00	25.00	...	185.00	185.00	...	100.00	100.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
27. सरकारी उद्यमों में निवेश	6401	1.00	...	1.00	29.31	...	29.31	2.14	...	2.14
28. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम										
28.01 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2401	...	10.02	10.02	...	11.07	11.07	...	10.99	10.99
28.02 अन्य कार्यक्रम	2401	32.30	0.06	32.36	24.85	...	24.85	39.20	...	39.20
	3601	0.04	...	0.04	...	...	...	3.63	...	3.63
	जोड़	*32.34*	*0.06*	*32.40*	*24.85*	*...*	*24.85*	*42.83*	*...*	*42.83*
जोड़-कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम		***32.34***	***10.08***	***42.42***	***24.85***	***11.07***	***35.92***	***42.83***	***10.99***	***53.82***
जोड़-कृषि कार्य		**841.35**	**75.68**	**917.03**	**891.19**	**235.69**	**1126.88**	**987.79**	**151.88**	**1139.67**
अन्य कृषि कार्यक्रम										
29. अन्य प्रशासनिक सेवाएं – कीटनाशक अधिनियम का कार्यान्वयन	2070	1.70	3.19	4.89	1.12	3.30	4.42	0.58	3.23	3.81
30. कृषि विपणन	2435	9.14	18.28	27.42	29.19	18.22	47.41	79.38	18.30	97.68
	3601	0.08	...	0.08	...	...	...	0.08	...	0.08
	4435	0.78	...	0.78	0.78	...	0.78	0.51	...	0.51
	जोड़	*10.00*	*18.28*	*28.28*	*29.97*	*18.22*	*48.19*	*79.97*	*18.30*	*98.27*
जोड़-अन्य कृषि कार्य		***11.70***	***21.47***	***33.17***	***31.09***	***21.52***	***52.61***	***80.55***	***21.53***	***102.08***
मृदा और जल संरक्षण										
31. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्र में मृदा-संरक्षण	2402	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.31	0.31
32. अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं										
32.01 अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण तथा मृदा सर्वेक्षण के लिए दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग	2402	7.02	1.16	8.18	7.02	1.16	8.18	4.01	1.21	5.22
	4402	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	0.24	...	0.24
	जोड़	*7.50*	*1.16*	*8.66*	*7.50*	*1.16*	*8.66*	*4.25*	*1.21*	*5.46*
32.02 राष्ट्रीय भूमि संसाधन आयोग/बोर्ड	2402	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
32.04 क्षारीय भूमि पुनरुद्धार और विकास कार्यक्रम (ई.ए.पी.)	2402	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...
जोड़- अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं		***10.00***	***1.16***	***11.16***	***10.00***	***1.16***	***11.16***	***4.75***	***1.21***	***5.96***
राज्य आयोजना										
33. झूम कृषि का नियंत्रण	3601	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
जोड़-राज्य आयोजना		***15.00***	***...***	***15.00***	***15.00***	***...***	***15.00***	***20.00***	***...***	***20.00***
जोड़-मृदा और जल संरक्षण		**25.00**	**1.46**	**26.46**	**25.00**	**1.46**	**26.46**	**24.75**	**1.52**	**26.27**
सहकारिता										
34. शिक्षा और प्रशिक्षण	2425	13.75	...	13.75	13.75	...	13.75	38.70	...	38.70
35. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम										
35.01 भांडागारण और सहकारी विपणन समितियां	2425	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	1.50	...	1.50
	6425	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	...	...	...
	जोड़	*28.00*	*...*	*28.00*	*28.00*	*...*	*28.00*	*1.50*	*...*	*1.50*
35.02 सहकारी प्रसंस्करण समितियां	2425	1.94	...	1.94	...	...	...	...	...	...
35.03 सहकारी चीनी मिलों में पूंजी की भागीदारी	6425	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	...	...	...
35.04 सहकारी कताई मिलों में पूंजी की भागीदारी	6425	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
35.05 सहकारिता विकास हेतु एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता	6425	...	...	...	...	...	...	33.50	...	33.50
जोड़-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम		**62.94**	**...**	**62.94**	**61.00**	**...**	**61.00**	**35.00**	**...**	**35.00**
36 राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	6425	54.82	...	54.82	104.82	...	104.82	113.09	...	113.09
37. नवीकृत सहकारी ऋण ढांचा के लिए पुनर्वास पैकेज	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
38. अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण	2425	1.23	...	1.23	1.23	...	1.23	0.54	...	0.54
जोड़-सहकारिता		***132.75***	***...***	***132.75***	***180.81***	***...***	***180.81***	***188.33***	***...***	***188.33***
39. कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों की वृद्धि/सराहना (वृहद् प्रबंधन)	2401	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	28.21	...	28.21
	2402	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	1.20	...	1.20
	3601	496.00	...	496.00	496.00	...	496.00	536.65	...	536.65
	3602	3.00	...	3.00	1.08	...	1.08	3.00	...	3.00
	4402	...	...	...	...	...	...	5.60	...	5.60
	7601	236.00	...	236.00	202.83	...	202.83	107.20	...	107.20
	7602	2.00	...	2.00	0.27	...	0.27	0.60	...	0.60
	जोड़	*774.00*	*...*	*774.00*	*737.18*	*...*	*737.18*	*682.46*	*...*	*682.46*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
40. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ	2401	...	...	...	...	...	...	120.00	...	120.00
परियोजनाओं/योजनाओं के लिए	2552	192.50	...	192.50	113.53	...	113.53	77.70	...	77.70
एकमुश्त प्रावधान	4552	4.50	...	4.50	3.00	...	3.00	19.05	...	19.05
	जोड़	*197.00*	*...*	*197.00*	*116.53*	*...*	*116.53*	*216.75*	*...*	*216.75*
कुल जोड़		***1985.00***	***123.36***	***2108.36***	***1985.00***	***283.36***	***2268.36***	***2187.00***	***200.00***	***2387.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
27.01 स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया	12401	1.00	...	1.00	29.31	...	29.31	2.14	...	2.14
27.02 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	12425	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	33.50	...	33.50
27.03 भूमि विकास बैंक	12425	54.82	...	54.82	104.82	...	104.82	113.09	...	113.09
जोड़		**105.82**	**...**	**105.82**	**184.13**	**...**	**184.13**	**148.73**	**...**	**148.73**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय आयोजना										
1. फसल कार्य	12401	1610.35	...	1610.35	1623.37	...	1623.37	1663.45	...	1663.45
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	10.00	...	10.00	29.97	...	29.97	79.97	...	79.97
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	3.20	...	3.20	3.20	...	3.20	6.37	...	6.37
4. अन्य प्रशासनिक कार्य	32070	1.70	...	1.70	1.12	...	1.12	0.58	...	0.58
5. मृदा और जल संरक्षण	12402	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	11.55	...	11.55
6. सहकारिता	12425	132.75	...	132.75	180.81	...	180.81	188.33	...	188.33
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	197.00	...	197.00	116.53	...	116.53	216.75	...	216.75
	जोड़	*1970.00*	*...*	*1970.00*	*1970.00*	*...*	*1970.00*	*2167.00*	*...*	*2167.00*
राज्य आयोजना										
1. झूम कृषि का नियंत्रण	43601	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
जोड़		**1985.00**	**...**	**1985.00**	**1985.00**	**...**	**1985.00**	**2187.00**	**...**	**2187.00**

1. यह प्रावधान कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, परामर्थदाता (कृषि) के कार्यालय, भारतीय दूतावास, रोम और तिलहन और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन के मुख्यालय के व्यय से संबंधित है। इसमें केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना, ऋण आयोजना और अनुवीक्षण तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास पर होने वाला स्थापना संबद्ध व्यय भी शामिल है।

2. इसमें दो मौजूदा योजनाओं (किसानों के अधिकार विधान और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों के पौध विविधताओं के संरक्षण का कार्यान्वयन) और एक पुनर्संरचित योजना (बीज, बीज फसल बीमा पर परिवहन सब्सिडी संबंधी मौजूदा योजनाओं के स्थान पर गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ करना तथा बीज बैंक की स्थापना और रखरखाव) के लिए व्यवस्था शामिल है। प्रावधान मौजूदा स्कीमों तथा पुनर्सरचित स्कीमों के लिए रखा गया है।

4. इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से मिशन दृष्टिकोण आधार पर मक्के की उत्पादकता को बढ़ाना है। इस प्रावधान में सम्पूर्ण ईएपी संघटक शामिल है। योजना के सामान्य संघटक के लिए इस स्कीम और मद सं.16 की पुनर्संरचित स्कीम में व्यवस्था की गई है।

7. यह आयोजना-भिन्न प्रावधान चावल और बाजरे के विकास कार्यक्रमों के लिए निदेशालयों हेतु है।

8. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दालों के उत्पादन को बढ़ाना है। दालों की खेती के संबंधी में अल्पावधिक पैकेज पद्धति, उपजाऊ बीजों का उत्पादन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करना आदि इस प्रयोजन के मुख्य केन्द्र हैं। मौजूदा स्कीमों तथा साथ ही मद सं. 16 में पुनर्संरचित योजना में प्रावधान रखा गया है।

9. यह व्यवस्था मौजूदा योजनाओं (6 महीनों के लिए जैव-उर्वरकों का विकास और प्रयोग) एक पुनर्संरचित योजना (एकीकृत पोषक प्रबंधन) और एक नई योजना (आर्गेनिक खेती के संवर्धन पर राष्ट्रीय परियोजना, जिसमें मौजूदा योजना का शेष प्रावधान शामिल है) के लिए है।

10. यह व्यवस्था मौजूदा योजना (भारत में पौध संगरोध के विस्तार) और (केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान की मौजूदा योजना के स्थान पर पुनर्संरचित योजना, देश में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण को मजबूत करने और आधुनिकीकरण करने, एकीकृत कीट प्रबंधन के संवर्धन, कीट नियंत्रण और अनुसंधान, कीटनाशक अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन) की पुनर्संरचित योजना के लिए हैं। यह व्यवस्था मौजूदा योजनाओं और पुनर्संरचित योजना के लिए की गई है।

11. यह कार्यक्रम सभी मुख्य तिलहन फसलों यथा मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम्ब, नाइजर, अरंडी और अलसी को शामिल करता है। मुख्य बल पद्धतियों के सुधरे हुए पैकेज, निविष्टि सहायता सेवा और प्रौद्योगिकी अंतरण आदि अपनाने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जाता है। सभी मुख्य निविष्टियों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का पैटर्न 75:25 है। इसके अतिरिक्त शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान (100%) दिया जाता है। मद संख्या 16 में मौजूदा योजनाओं और पुनर्संरचित योजना के लिए व्यवस्था की गई है।

12. तिलहन और वनस्पति तेल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। मौजूदा योजनाओं और मद संख्या 16 में पुनर्संरचित योजना के लिए व्यवस्था की गई है।

13. इस योजना में (क) आधुनिक तेल एक्सपैलर के विकास और लोकप्रियता और (ख) खजूर के प्रसंस्करण के लिए प्रोटो-टाइप के विकास और (ग) फार्म-स्तर पर दालों के संरक्षण और भंडारण पर ध्यान दिया गया है। मौजूदा योजनाओं तथा साथ ही मद संख्या 16 में पुनर्संरचित योजना हेतु व्यवस्था की गई है।

14. इस योजना के अधीन मुख्यतः शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान सहायता, संकर बीजों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण, बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई. को अनुदान-सहायता देने के लिए व्यवस्था है।

15. यह व्यवस्था बीजों और पौधों की आपूर्ति, फसल उगाने के लिए किसानों को सहायता, तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना की सहायता, आदि के लिए है। मौजूदा योजनाओं और मद संख्या 16 में पुनर्संरचित योजना के लिए व्यवस्था की गई है।

16. यह व्यवस्था तीन पुनर्संरचित योजनाओं (फसलोपरांत प्रौद्योगिकी जिसमें टी.एम.ओ.पी. (मुख्यालय) और नोवोड बोर्ड, एकीकृत तिलहन, ताड़ के तेल दालों और मक्का का विकास, वृक्ष से प्राप्त तिलहन शामिल हैं) के लिए है।

17. इस योजना के अधीन पम्प सेटों सहित शेडों ट्यूबवैलों के निर्माण, लिफ्ट-सिंचाई स्थलों और अलग-अलग/किसानों के समूह को विद्युत/डीजल पम्प सेटों के लिए सहायता दी गई है।

18. यह व्यवस्था जल-विभाजन विकास परिषद के लिए है जिसका गठन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए समग्र जिम्मेदारी के साथ किया गया था।

19. यह व्यवस्था पुनर्सरचित योजना (मौजूदा मिनीकिट कार्यक्रमों और वाणिज्यिक फसल निदेशालयों के स्थान पर हाल ही में विकसित प्रौद्योगिकी की किस्म, विविधीकरण और लोकप्रियता) के लिए है।

20. यह व्यवस्था 5 मौजूदा स्कीमों (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड जिसमें नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन शामिल है, मानव संसाधन विकास, पर्वतीय/जनजाति क्षेत्र विकास, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी मिशन) तथा दो नई स्कीमों (खेती द्वारा उच्च तकनीक बागवानी तथा बागवानी का सतत विकास) के लिए है। शीत भंडारण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी तथा दो निदेशालयों (काजू तथा मसाले) के लिए भी व्यवस्था की गई है। मौजूदा स्कीमों और साथ ही पुनर्सरचित स्कीमों में व्यवस्था रखी गई है।

21. यह व्यवस्था दो मौजूदा स्कीमों (राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर यू.एन.डी.पी. परियोजना), तथा दो पुनर्संरचित स्कीमों (डी.ओ.ई.) की केन्द्रीय संस्थाओं को विस्तार सहायता, तथा विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की मौजूदा स्कीमों की जगह राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता, कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास/कृषि को प्रशिक्षण सहायता, सूचना सहायता/प्रबंध सूचना प्रणाली) के लिए है। मौजूदा स्कीमों तथा पुनर्सरचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

22. कृषकों, फसलों, तथा जोखिम के मायने में इसका क्षेत्र बढ़ाने के लिए, देश में रबी 1999-2000 के मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) (पूर्व समग्र फसल बीमा स्कीम के स्थान पर) प्रारंभ की गई। यह स्कीम क्षेत्र के दृष्टिकोण आधार पर प्रचालित है तथा प्रत्येक भागीदार राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को तीन वर्षों की एक अवधि में बीमा के इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुंचना अपेक्षित होता है। वर्तमान में, यह योजना 19 राज्यों तथा 2 संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

23. यह व्यवस्था कृषि गणना करने के लिए होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रचालनात्मक धारिताओं की संरचना तथा नीति प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य मामलों पर आंकड़े हासिल करना है।

24. यह व्यवस्था दो मौजूदा स्कीमों (कृषि सांख्यिकी तथा कृषीय नीति के सुदृढ़ीकरण तथा पशुधन गणना के संचालन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता), तीन पुनर्सरचित स्कीमों (i) मौजूदा खेती तथा ए.ई.आर. केन्द्रों की लागत के स्थान पर कृषीय आर्थिक नीति तथा विकास में अध्ययन, (ii) मौजूदा स्कीमों नामतः राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, विशेष आंकड़ा प्रसार केन्द्र स्कीम तथा फसल एकड़वार क्षेत्रफल तथा उत्पादन आकलन, के स्थान पर फसल उत्पादन में पूर्वानुमान तथा दूर-गामी प्रयोग, तथा (iii) मौजूदा स्कीमों नामतः फल/सब्जियों तथा लघु फसलों का फसल आकलन सर्वेक्षण, प्रधान फसल क्षेत्र के अनुमानों तथा उत्पादन की समयबद्ध सूचना, फसल सांख्यिकी में सुधार तथा कृषीय सांख्यिकी का संग्रहण तथा एक नई स्कीम (स्थान, कृषि-मौसम विज्ञान तथा भू-आधारित प्रेक्षण का प्रयोग करते हुए कृषीय उपज का पूर्वानुमान करना) के स्थान पर कृषि सांख्यिकी में सुधार। मौजूदा स्कीमों और साथ ही पुनर्सरचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

25. तीन मौजूदा (फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण, नवविकसित कृषि उपकरण का प्रदर्शन तथा यंत्रीकरण रणनीतियों का अध्ययन करना तथा उन्हें बनाना) तथा एक नई स्कीम (कृषीय यंत्रीकरण तथा उचित प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना) के लिए व्यवस्था की गई है। यह क्रियाकलाप मुख्यतः प्रगतिशील कृषक, तकनीशियन, राज्य सरकार/कृषि उद्योगों के नामित आदि को प्रशिक्षण से संबंधित हैं।

26. मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप संबंधी उपाय किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है। नैफेड ऐसे प्रचालनों को करने के लिए केन्द्रीय नामोदिष्ट एजेंसी है।

27. यह व्यवस्था दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नामतः भारत राज्य फार्म निगम लिमिटेड तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, की पुनर्संरचना के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए है।

28. यह व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम, लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ, कृषि व्यापार की स्थापना, कृषि में आयोजना तथा प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी में तीन मौजूदा स्कीमों (कृषि सूचना तंत्रों का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन, डी.ए.सी. (मुख्यालय) में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण), क्षेत्र कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा डी.ए.सी. निदेशालय), सूचना प्रौद्योगिकी में एक पुनर्संरचित योजना (कृषि सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन) तथा एक नई योजना (राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण का सुदृढ़ीकरण तथा सहयोग पर व्यय के लिए की गई है। मौजूदा स्कीमों तथा पुनर्संरचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

29. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन संबंधी व्यय के लिए है। मौजूदा स्कीमों तथा साथ ही पुनर्संरचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

30. यह व्यवस्था दो मौजूदा स्कीमों (एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं तथा निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण, तथा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को अनुदान), एक पुनर्संरचित स्कीम बाजार सर्वेक्षण, जांच तथा अनुसंधान तथा विपणन सूचना नेटवर्क के स्थान पर विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण तथा सूचना नेटवर्क) तथा दो नई स्कीमों (ग्रामीण गोदामों का निर्माण और बाजार आधारढांचा ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास), के लिए है। मौजूदा स्कीमों और साथ ही पुनर्सरचित स्कीम के लिए व्यवस्था की गई है।

31. यह व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अनुदान के लिए की गई है।

32 यह व्यवस्था मुख्यतः अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, तथा राष्ट्रीय भूमि संसाधन बोर्ड/आयोग को 6 महीने की अवधि के लिए की गई है।

33. इस व्यवस्था में झूम खेती से संबद्ध राज्य योजना की स्कीमों के लिए केंद्रीय सहायता शामिल है।

34. इन योजनाओं का बुनियादी उद्देश्य सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा देना और राज्यों के सहकारिता विभागों, सहकारी संस्थानों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभ के बारे में और सहकारिता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए जागरूक बनाया जा सके। मौजूदा स्कीमों और साथ ही पुनर्सरंचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

35. सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण, विपणन तथा प्रसंस्करण हेतु मुख्यतः राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता दी जाती है। यह व्यवस्था एक मौजूदा स्कीम(चुनिंदा जिलों में एकीकृत सहकारी विकास), एक पुनर्संरचित स्कीम (एनसीडी को विकासाधीन राज्यों में सहकारिता, विपणन, प्रसंस्करण, सहकारी कताई मिल, सहकारी चीनी मिलों के लिए सहायता की मौजूदा स्कीमों के स्थान पर सहकारिता विकास हेतु सहायता, चुनिंदा जिलों में राष्ट्रीय सहकारी संघों तथा एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को सहायता),तथा एक नई स्कीम (सहकारी क्रेडिट संरचना के पुनर्निर्माण के लिए पुनर्वास पैकेज)।

36. यह योजना लघु सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यंत्रीकरण, आदि के क्षेत्र में विकासात्मक प्रयोजनों के लिए कृषकों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने के लिए है।

37. इस स्कीम में केवल एक सांकेतिक व्यवस्था रखी गई है।

38. यह व्यवस्था सहकारिता के क्षेत्र में दो मौजूदा स्कीमों (राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा कृषि बैंकिंग में प्रशिक्षण) के लिए है।

39. अभी तक राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने/विषयवस्तु के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जाती थी। समझौता ज्ञापन आधार पर केन्द्र - प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करने के लिए 27 चालू स्कीमों को एकीकृत करके "राज्य के प्रयास चिन्तन कार्य योजना की वृद्धि/सराहना" नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इसने वर्ष 2000-01 से प्रचालन प्रारंभ किया।

40. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/स्कीमों के लिए है।